न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 75/2016 (225 आरटीए) आईदानराम वगै. बनाम उर्जाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2016/00127)

1 आईदानराम पुत्र रामूराम,
2 पुरखाराम पुत्र रामूराम,
3 श्रीमती चुकी पत्नी हरजीराम
जातियान जाट निवासीगण नेवरारोड, तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

.... अपीलांटस्

बनाम

1 उर्जाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी नेवरा रोड, तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
2 शाखा प्रबंधक ओ.बी.सी. बैक शाखा ओसियां, जोधपुर।
3 तिलोकराम पुत्र श्री रामूराम जाति जाट निवासी नेवरा रोड़ तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंटस्

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 10.06.2016 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 220/2012

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा।
2 उर्जाराम पुत्र श्री खेमाराम स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.01.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 220/2012 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1/प्रार्थी की ओर से

28/1
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 220/2012 पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 757/1 रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम नेवरारोड तहसील ओसियां जिला जोधपुर में स्थित है तथा अप्रार्थीगण (अपीलांट्स) की कृषि भूमि खसरा सं. 758 रकबा 11 बिस्वा 7 बिस्वा वाके ग्राम नेवरारोड़ तहसील ओसियां जिला जोधपुर में आई हुई है। उक्त भूमि के पश्चिम में ओसियां जोधपुर सड़क स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी सड़क से अप्रार्थीगण की भूमि में से कदमी रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है से आता जाता है, इसके अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। जिस पर प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 10.06.2016 से स्वीकार कर लिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पो. सं. 1 को राजीनामा के द्वारा अन्य स्थान से रास्ता प्रदान कर दिया गया है। अतः राजीनामा के आधार पर इस अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधनी आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

5 इस न्यायालय में प्रार्थी उर्जाराम पुत्र श्री खेमाराम स्वयं उपस्थित हुआ जिसने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 1 के बीच गांव में आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। रेस्पो. सं. 1 को अपने खेत हेतु अन्य स्थल से रास्ता उपलब्ध हो गया है। अब आदेश दिनांक 10.06.2016 की अनुपालना में रास्ता नहीं चाहते हैं लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2016 को जरिये विड्रोल निरस्त करने का निवेदन किया।

7 अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा एवं रेस्पो. सं. 1 श्री उर्जाराम पुत्र श्री खेमाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं राजीनामा के कथन पर विचार किया एवं बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पो. सं. 1 श्री उर्जाराम पुत्र खेमाराम को राजीनामा से अन्य स्थान पर रास्ता

मिल गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश के जरिये दिये गये रास्ते की उन्हें आवश्यकता नहीं हैं और इस न्यायालय में उन्होंने अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम की धारा 251ए के प्रार्थना पत्र पर किये गये अपीलाधीन आदेश को जरिये विड्रोल खारिज करने के लिये निवेदन किया है।

8 अतः इस प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण मुताबिक राजीनामा अपील को स्वीकार किया जाना व अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को खारिज करने में कोई विधिक आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

10 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2016 निरस्त किया जाता है।

28/1/19

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/1/19

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर